न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट मेरठ।

उपस्थितः– अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा) जे0ओ0कोड यू0पी06240

नियमित प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2659/2026

मोहित त्यागी पुत्र ओमपाल त्यागी, निवासी–ग्राम मीरपुरा थाना खरखौदा, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/अभियोजन

मु०अ०सं०–149 सन् 2025
धारा–110,115(2),352,324(2),351 (2)बी0एन0एस0
एवं धारा– 3(2) 5(ए)एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना सिविल लाईंस, जिला मेरठ।

उपस्थितः प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता–पंडित आनंद कश्यप
राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक–श्री मोहित गुप्ता

दिनांकः 08.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मोहित त्यागी की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–149 सन् 2025, धारा–110,115(2),352, 324(2), 351(2)बी0एन0एस0 एवं धारा 3(2) 5(ए)एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना सिविल लाईंस, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा आदेश कुमार द्वारा थाना सिविल लाईंस, मेरठ पर दिनांक 20.06.2025 को समय 21:25 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि, ''प्रार्थी का बडा भाई मनोज कुमार एडवोकेट पुत्र रमेशचन्द निवासी वर्निका स्टेट रोहटा रोड मेरठ, थाना–कंकरखेड़ा मेरठ चैम्बर न0 20 महात्मा गाँधी विल्डिंग कलक्ट्रेट मे बैठकर विधि व्यवसाय का कार्य करता है। कल दिनाक 19.06.2025 को मोहित त्यागी पुत्र ओमपाल, काजल पत्नि मोहित त्यागी मेरे भाई के चेम्वर पर आकर माँ, बहिन की गाली देते हुये जाति–सूचक शब्द चमार कहकर मारपीट कर अमादा फौजदारी हो गयी मेरे भाई केस की सुनवाई हेतु इन दोनो को चैम्बर पर छोड़कर कोर्ट चला गया उसके पीछे मोहित व काजल ने मेरे भाई के चैम्बर मे रखे 50,000/–हजार रुपये मेज की दराज तोड़कर चोरी करके ले गये जिसकी शिकायत मेरे भाई के द्वारा SSP महोदय से की गयी थी, आज दिनांक 20.06.2025 को समय करीव 02.30 बजे मोहित व काजल अपने–अपने हाथो मे लोहे की रोड़ लेकर मेरे भाई के चेम्बर मे जबरन घुस आये उस समय मेरे भाई मनोज के साथ रेखा व अन्य अधिवक्ता भी वेठे थे तभी मोहित त्यागी, व काजल व दो, तीन अन्य ने मेरे निहत्थे भाई मनोज व रेखा पर अपने अपने हाथों मे लिये लोहे की रोड़ से जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया जिसमे मेरे भाई व रेखा के सिर में व कन्धे पर गम्भीर चोटे आने व अधिक खून बहने के कारण बहोश होकर जमीन पर गिर गये, ये लोग उसके बाद भी लोहे की रोड से मारते रहे तथा चेम्बर में भी तोडफोड की व घटना का शोर सुनकर

मैं प्रार्थी व अन्य काफी लोग भागकर चेम्बर पर आये तथा भाई व रेखा को बचाने का प्रयास किया और ये लोग जाते–जाते भी जान से मारने की धमकी देकर भाग गये प्रार्थी ने अपने साथी अधिवक्ता से थाने में फोन कराकर उक्त घटना की जानकारी दी तथा थोड़ी देर बाद मोके पर पुलिस घटनास्थल पहुंची उसके बाद मैं अपने साथियो की मदद से पुलिस की उपस्थिति में अपने भाई व रेखा को घायल अवस्था में थाने लेकर आया जिस पर पुलिस द्वारा मेरे भाई मनोज व रेखा का डाक्टरी परीक्षण कराने हेतु प्यारे लाल शर्मा हास्पिटल मेरठ में ड्राक्ट्ररी परीक्षण कराया गया, मेरे भाई मनोज व रेखा की हालत गम्भीर होने व खून अधिक बहने के कारण डाक्टर द्वारा पी०एल० शर्मा अस्पताल से मेडिकल कालिज मेरठ में उपचार हेतु भर्ती कराया है जहा मेरे भाई मनोज व रेखा की हालत काफी नाजुक बनी हुई है।''

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः आधार यह लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एवं वादी मुकदमा दोनों अधिवक्ता हैं जो एक ही चैम्बर में बैठकर वकालत करते थे उक्त चैम्बर में उनका 1/4–1/4 हिस्सा है। वादी मुकदमा प्रार्थी को जबरदस्ती उक्त चैम्बर से बाहर निकालना चाहता है। विरोध करने पर धमकी दी कि उसे चैम्बर छोड़कर जाना ही होगा। व्हाट्सव ग्रुप में भी वादी ने प्रार्थी को एस.सी.एस.टी. एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है तथा चैम्बर छोड़ने का दबाव बनाया। वादी ने अपने साथियों को बुलाकर प्रार्थी व उसकी पत्नी को गंदी गंदी गालियां दी तथा मारपीट करते हुए अनुसूचित जाति से सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग किया। वादी ने झूठी चोटें बनाकर अपना इलाज कराना दर्शाया है। अभियुक्त व उसकी पत्नी को काफी चोटें आयी हैं। कथित घटना चैम्बर की दर्शित की गयी है जो सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं आता है। वादी ने इससे पूर्व भी धन ऐंठने के लिये कई व्यक्तियों के विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मुकदमे पंजीकृत कराये हैं। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्राथी/अभियुक्त पेशे से अधिवक्ता है तथा सम्मानित परिवार का सदस्य है। पत्रावली पर कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष साक्ष्य प्रार्थी के विरूद्ध उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया है वह गम्भीर प्रकृति का है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को गन्दी गन्दी गालियां देने, उसके साथ मारपीट करने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त के संदर्भ में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं व अन्य सभी धारायें सात वर्ष तक दंडनीय है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा

चुका है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का र्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मोहित त्यागी की ओर से मु०अ०सं०–149 सन् 2025, धारा–110,115(2),352, 324(2), 351(2)बी0एन0एस0 एवं धारा 3(2) 5(ए)एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना सिविल लाईंस, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2659/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा 25000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. जमानत पर छूटने के पश्चात् अभियुक्त निष्पादित बन्ध पत्रों की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।

2. जो अभियोग प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया है ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

दिनाकः 08.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference–
For authentic copy Please refer to certified copy only–

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.08 17:21:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court